संख्या-98/2017/2549/30-3-17-03बी/2015

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 22 सितम्बर, 2017

विषय- प्रदेश के पूर्व निर्मित सम्भागीय परिवहन कार्यालय-फैजाबाद में निर्माणाधीन सारथी हाल के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष रू0 49.37 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1779ए/2017-17ए/2013, दिनॉक 24-07-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के पूर्व निर्मित सम्भागीय परिवहन कार्यालय-फैजाबाद में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हाल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-24/569/30-3-2014-03बी/2015, दिनॉक 13-03-2015 द्वारा धनराशि रू0 165.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रू0 56.38 लाख (रू0 छप्पन लाख अड़तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की गयी है तथा शासनादेश संख्या-02/2016/54/30-3-16-3बी/2015, दिनांक 13-01-2016 द्वारा धनराशि रू0 108.52 लाख (रू0 एक करोड़ आठ लाख बावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। तत्क्रम में पुनरीक्षण हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव रू0 233.45 लाख के सापेक्ष परीक्षणोपरान्त परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 214.37 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत पूजीगत पक्ष के लेखाशीर्ष "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूॅजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-08-फैजाबाद में सारथी हॉल का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" में प्रावधानित धनराशि रू0 68.45 लाख से धनराशि रू0 49.37 लाख (रू0 उन्चास लाख सैतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 03-08-2017 में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 का होगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य एवं मद पर खर्च किया जायेगा।

(5) प्रायोजना का अन्तिम रूप से अनुमोदित मानचित्र/डिजाइन के अनुसार सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाय।

(6) परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 का होगा।

(8) परियोजना का निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही पूर्ण कर लिया जायेगा और इसका उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा और इस हेतु कोई पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(9) पूर्व निर्मित सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हाल के निर्माण के मानकीकरण शासनादेश संख्या-2011/30-3-13-10बी/2013टी0सी0, दिनॉक 13-09-2013 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत पूजीगत पक्ष के लेखाशीर्ष "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूॅजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-08-फैजाबाद में सारथी हॉल का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित किये गये आदेशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

संख्या-98/2017/2549(1)/30-3-2016, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, फैजाबाद द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in